

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 11/2021

- 1 कल्याण पिता सोजीराम दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 2 मानसिंह पिता सोजीराम दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 3 लक्ष्मण सिंह पिता रामसिंह दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 4 शंकर पिता सोजीराम दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 5 सांवरा सिंह पिता रामसिंह दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 1 अमरचन्द पिता गोकल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सरदारपुरा, अरवड तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज. (अनवान)
- 2 बागा पिता पांचू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सरदारपुरा, अरवड तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज. (प्रार्थीगण)
- 3 प्रहलाद पिता पांचू गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सरदारपुरा, अरवड तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज. (बनाम)
- 4 सोजीराम पिता गोकल गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सरदारपुरा, अरवड तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 5 विजयसिंह पिता गंगाराम दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 6 रामचन्द्र पिता भूरा दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 7 कल्याण सिंह पिता शिवजीराम दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 8 गोपाल पिता लादु दरोगा उम्र वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा राज.
- 9 तहसीलदार (भूमिधारी) फुलियाकला जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 24.03.2021

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 18.01.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 810 के आ.न. 1459, 1460, 1475 किता 3 रकबा 0.95 हैक्टर, खाता संख्या 809 के आराजी संख्या 1451, 1452, 1464 किता 3 रकबा 0.61 हैक्ट. भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 04.03.2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत




उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकला (भीलवाड़ा) पार्स-2

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 810 के आ.न. 1459, 1460, 1475 किता 3 रकबा 0.95 हैक्टर, खाता संख्या 809 के आराजी संख्या 1451, 1452, 1464 किता 3 रकबा 0.61 हैक्ट. भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला जिलाधिकारी
फुलियाकंला (भीलवाड़ा) राज